

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2026 — भाद्र 27, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2026

क्रमांक 1909/डी.122/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 11-09-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 15, सन् 2026)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2026.

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्र.7 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1.	(1)	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहलाएगा।	संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.
	(2)	यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।	
2.		छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्र .7 सन् 2002) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में, – (एक) खण्ड (एक-ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:- "(एक-घ) "पावती प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है, आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी आवेदक को "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र; (एक-ङ) "आवेदक" से अभिप्रेत है, कोई उद्यम या उद्यम का प्रतिनिधि जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया है या करने का आशय रखता है; (एक-च) "आवेदन" से अभिप्रेत है, किसी उद्यम द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी स्वीकृति, परमिट, अनुज्ञप्ति, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, नवीनीकरण, संशोधन या अवधि-विस्तार प्राप्त करने, अथवा स्टार्टअप छत्तीसगढ़ या निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया कोई अनुरोध, अभ्यावेदन या प्रस्तुतीकरण; (एक-छ) "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र .22 सन् 1973) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत, तथा राज्य सरकार के निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा प्रदाता निकाय के रूप में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्र .7 सन् 2002) की धारा 12 के अधीन नियुक्त राज्य नोडल एजेंसी; (एक-ज) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित ; (एक-झ) "रेगुलेटरी पासबुक" से अभिप्रेत है, एक डिजिटल पहचानकर्ता, जो एक निवेशक द्वारा प्राप्त सभी प्रमाणपत्रों, अनुमोदनों और अनुज्ञप्तियों को समेकित करता है; (एक-ञ) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित एकीकृत, प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच;" (दो) खण्ड (आठ) में, शब्द एवं अंक "भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्र .18 सन् 2013)" प्रतिस्थापित किया जाये। (तीन) खण्ड (दस-क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- "(दस-क) "नोडल एजेंसी" से अभिप्रेत है, धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन, राज्य स्तरीय "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" तथा उसके जिला स्तरीय कार्यालय, प्रत्येक दशा में निवेशक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हुए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;"	धारा 2 का संशोधन.

3.	मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में,- (एक) खण्ड (ख) में, शब्द एवं अंक "राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी" तथा "धारा 12 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) में" के स्थान पर, क्रमशः, शब्द एवं अंक "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" तथा "छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र .23 सन् 2011) के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये। (दो) खण्ड (घ) के उप-खण्ड (दो) में शब्द एवं अंक "धारा 12 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन" तथा "राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी" के स्थान पर, क्रमशः, शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र .23 सन् 2011) के अधीन" तथा "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाये।	धारा 11 का संशोधन.
4.	मूल अधिनियम की धारा 12 में,- (एक) उप-धारा (1), (2), (3), (4), (5) एवं (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- "(1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, राज्य में निवेश संवर्धन, निवेशक सुविधा, एकल खिड़की क्लीयरेंस, निर्यात संवर्धन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकास तथा राज्य सरकार द्वारा विहित किसी अन्य कृत्य के प्रयोजनों के लिए, "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" नामक एक निकाय का, एकल नोडल अभिकरण के रूप में, गठन करेगी। (2) "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र .22 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी होगी। आयुक्त/संचालक, उद्योग, "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" के पदेन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" की शक्तियां और कृत्य विहित नियमों के अनुसार होंगे। (3) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना के अंतर्गत निवेश करने, सेवाएँ प्रदान करने या प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को अनिवार्य रूप से एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। (4) "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" अधिसूचना द्वारा, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार या शुल्क निर्धारित कर सकता है, और ऐसे प्रभार या शुल्कों में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधन, पुनरीक्षण या परिवर्तन किया जा सकता है। (5) उद्यम आकांक्षा के माध्यम से, किसी निवेशक द्वारा कोई अनुमोदन, अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, तत्काल एकल खिड़की प्रणाली पर ऐसी रीति और प्रारूप में जैसा विहित किया जाए, एक रेगुलेटरी पासबुक सृजित की जाएगी। (6) "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़", एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों की शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए, एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित और अनुरक्षित करेगा। प्रत्येक शिकायत का निराकरण विहित रीति और समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।" (दो) उप-धारा (9) में, शब्द "नोडल एजेंसी" के स्थान पर, शब्द "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाये।	धारा 12 का संशोधन.
5.	मूल अधिनियम की धारा 13 का लोप किया जाये।	धारा 13 का लोप.
6.	मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाये।	धारा 19 का लोप.

7.	मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:- "(1-क) राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास को गति देने और राज्य में औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने के लिए एक औद्योगिक विकास नीति बना सकती है। राज्य सरकार, ऐसी नीति के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए नियम भी बना सकती है। इस प्रावधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रवृत्त कोई भी औद्योगिक विकास नीति और उसके अधीन बनाए गए नियम इस उप-धारा के अंतर्गत बनाए और तैयार किए गए माने जाएंगे।। (1-ख) राज्य सरकार, औद्योगिक विकास के लिए निवेश को संवर्धित करने के प्रयोजन हेतु, भूमि और भवनों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 इस उप-धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे।"	धारा 20 का संशोधन.
8.	मूल अधिनियम की अनुसूची-एक का लोप किया जाये।	अनुसूची -एक का लोप.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2026

क्रमांक 1909/डी.122/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 15 of 2026)

CHHATTISGARH AUDYOGIK NIVESH PROTSAHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026.

An Act further to amend the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India, as follows: -

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026. **Short title and commencement.**
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Section 2 of the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of Section 2.**
 - (i) after clause (i-c), the following shall be inserted, namely:-
 - “(i-d) “Acknowledgement Certificate” means a certificate issued by ‘Invest Chhattisgarh’ to an applicant upon submission of application;
 - (i-e) “Applicant” means an enterprise or representative of an enterprise that has made or intends to make an Application under this Act;

- (i-f) “Application” means any request, representation or submission made by an enterprise to a Competent Authority for any approval, permit, license, registration, non-objection certificate, renewal, modification, or extension, or for availing any incentive under the Startup Chhattisgarh or export promotion schemes;
- (i-g) “Invest Chhattisgarh” means the State Nodal Agency appointed under Section 12 of the Chhattisgarh Industrial Investment Promotion Act, 2002 (No. 7 of 2002), to function as the investment promotion and facilitation body of the State Government, and registered as a society under the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 22 of 1973);
- (i-h) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (i-i) “Regulatory Passbook” means a digital identifier that consolidates all certificates, approvals and licenses obtained by an Investor;
- (i-j) “Single Window System” means the unified, integrated, technology-enabled platform operated and maintained by ‘Invest Chhattisgarh’;”
- (ii) In clause (viii), for the words and figures “the Indian Companies Act 1956”, the words and figures “the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)” shall be substituted.
- (iii) For clause (x-a), the following shall be substituted, namely:-
“(x-a) “Nodal Agency” means ‘Invest Chhattisgarh’ at the State level, and its district-level offices, as may be notified by the State Government, in each case acting as the Point of Investor Contact under sub-section (1) of Section 12.”

3. In sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act,-

**Amendment of
Section 11.**

- (i) In clause (b), for the words and figures “State level nodal agency” and “under clause (b) of sub-section (5) of Section 12”, the words and figures “‘Invest Chhattisgarh’” and “under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011)” shall be substituted respectively.
- (ii) In sub-clause (ii) of clause (d), for the words and figures “State level nodal agency” and “under clause (b) of sub-section (5) of section 12” the words and figures “‘Invest Chhattisgarh’” and “under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011)” shall be substituted respectively.

4. In Section 12 of the Principal Act,-

**Amendment of
Section 12.**

- (i) For sub-sections (1), (2), (3), (4), (5) and (6), the following shall be substituted, namely:-
“(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as ‘Invest Chhattisgarh’ for the purposes of investment promotion, investor facilitation, single window clearances, export promotion and startup ecosystem development in the state and any other function as prescribed by the State Government, as the Single Nodal Agency.
(2) ‘Invest Chhattisgarh’ shall be a society registered under the Chhattisgarh Societies Registrarian Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973). Commissioner/Director, Industry shall be ex officio the Chief Executive Officer of ‘Invest Chhattisgarh’. The powers and functions

of 'Invest Chhattisgarh' shall be as per prescribed rules.

(3) Every applicant intending to make an investment, provide services, or avail incentives under any scheme notified by the State Government shall mandatorily submit an application through the Single Window System.

(4) "Invest Chhattisgarh" may, by notification, prescribe the charges or fees for the services provided by it, and such charges or fees may be amended, revised, or modified from time to time by notification.

(5) A Regulatory Passbook shall be created on the Single Window System immediately upon an Investor obtaining any approval, licence, or certificate through Udyam Akanksha, in such manner and form as may be prescribed.

(6) 'Invest Chhattisgarh' shall establish and maintain a Grievance Redressal Mechanism for the expeditious resolution of grievances of applicants submitting application through Single Window System. Every grievance shall be resolved in a manner and within the time limit as prescribed."

(ii) In sub-section (9), for the words "nodal agency", the words "'Invest Chhattisgarh'" shall be substituted.

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 5. | Section 13 of the Principal Act shall be omitted. | Omission of
Section 13. |
| 6. | Section 19 of the Principal Act shall be omitted. | Omission of
Section 19. |
| 7. | After sub-section (1) of Section 20 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“(1-a) The State Government may formulate an Industrial Development Policy for promoting industrial growth, accelerating industrial development, and facilitating industrial investment in the State. The State Government may also make rules for the effective implementation and enforcement of the provisions of such policy. Any Industrial Development Policy and rules made thereunder that were in force immediately before the commencement of this provision shall be deemed to have been formulated and made under this sub-section.

(1-b) The State Government may make rules to regulate the management of land and buildings for the purpose of promoting investment for industrial development. The Chhattisgarh Audyogik Bhumi evam Bhawan Prabandhan Niyam, 2015 shall be deemed to have been made under this sub-section.” | Amendment of
Section 20. |
| 8. | Schedule-I of the Principal Act shall be omitted. | Omission of
Schedule-I. |